न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2694–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–08–2014 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत इमिलिया, तहसील व जिला दतिया द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–27/2012–13

.....

सियाराम पुत्र स्व0 श्री रामनाथ कुशवाह
निवासी–ग्राम ककरौआ, तहसील व
जिला दतिया (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती शिवकुअंर पत्नी भगुन्ती कुशवाह
पुत्री स्व0 श्री रामनाथ कुशवाह
निवासी–हाल ग्राम जुझारपुर तहसील व
जिला–दतिया (म0प्र0)

2– हरिओम नाबलिग पुत्र रामस्वरूप
दत्तक पुत्र स्व0 झन्डू कुशवाह
निवासी–ग्राम ककरौआ, तहसील व
जिला दतिया (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक,
श्री आर0डी0 शर्मा एवं श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27 जून 2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार वृत इमिलिया तहसील व जिला–दतिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–08–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम ककरौआ में स्थित विवादित भूमि सर्वे नं0 1 रकबा 0.480 है0, सर्वे क्र0 08 रकबा 1.690 है0, सर्वे क्र0 09 रकबा 0.620 है0, सर्वे क्र0 11 रकबा 0.250 है0, सर्वे 14/1 रकबा 0.880 है0, सर्वे क्र0 14/3 रकबा 0.040 है0, सर्वे क्र0 46 रकबा 0.870 सर्वे नं0 83 रकबा0.060 है0, सर्वे क्र0 92 रकबा 0.400 है0, सर्वे क्र0 150 रकबा 0.100 है0, सर्वे क्र0 160 रकबा 0.020 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 5.71 है0 आवेदक एवं अन्य सह भूमिस्वामी राजस्व अभिलेख में इन्द्राज था किन्तु उक्त विवादित भूमि के समस्त सर्वे नम्बरों का बटवारा राजस्व अभिलेखों में समान भाग 1/3 अनावेदिका क्र0 1 एवं समान भाग 1/3 अनावेदक क्र0 2 के नाम राजस्व अभिलेखों व खसरा खतौनी व अक्स में किये जाने हेतु अनावेदिका क्र0 1 द्वारा नायब तहसीलदार इमिलिया के समक्ष निवेदन किया गया है। इस पर फर्द बटवारा बनाया गया जिसपर आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की, परन्तु आपत्ति का निराकरण न कर नायब तहसीलदार ने दिनांक 12.08.2014 को अनावेदकगण के पक्ष में आदेश पारित कर दिया। नायब तहसीलदार इमिलिया के आदेश दिनांक 12.08.2014 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदिका कमांक 1 ने विचाराधीन भूमि के समान भाग 1/3 तथा आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 के समान भाग 1/3, 1/3 के बंटवारा के लिए आवेदन लगाया था जिसपर पटवारी ने फर्द बनाई । उस पर पहले कोई आपत्ति पेश नहीं की बाद में 12–8–14 को आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की। आवेदक अनावेदक का 1/3 भाग खराब भूमि देकर शेष 1/3, 1/3 भगा भूमि एक साथ अच्छी भूमि लेना चाहता है जबकि बंटवारा नियमों में स्पष्ट है कि सभी सहखातेदारों का एक समान भूमि अर्थात सभी को भूमि की

गुणवत्ता अनुसार बराबर बराबर भूमि बंटन की जाएगी। दिनांक 30–8–14 को नायब तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति पर जबाव मांगा तथा अनावेदक से यह लिखित सहमति देने हेतु कहा कि वह कौन कौन सी भूमि बंटवारा में देना चाहता है। आपत्ति पर निर्णय से पूर्व ही आवेदक ने इस न्यायालय में निगरानी पेश कर दी तथा प्रकरण को लम्बा खींचना चाहते हैं। तहसील ने अभी तक कोई आदेश नहीं कया है। अतः निगरानी का कोई औचित्य नहीं है, यह निरस्त की जाए।

4/ आवेदक को दिनांक 5–6–15 तक लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु समय दिया था परन्तु उन्होंने लिखित तर्क प्रस्तुत न कर एक आवेदन आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रकिया के तहत दिया कि विवादित भूमि का विकय प्रकरण के विचारण के दौरा कर दिया गया है। अतः प्रकरण में केता सत्यम नाबालिग पुत्र तथा संरक्षक वीरसिंह कुशवाहा को भी पक्षकार बनाया जाए तथा विवादित भूमि के संबंध में व्यवहार न्ययालय द्वारा 9–4–15 को स्थगन आदेश भी जारी किया गया है।

5/ आवेदक द्वारा तर्क प्रस्तुत न कर पक्षकार बनाये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भूमि के विकय के संबंध में तथा व्यवहार न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इस स्तर पर उक्त आवेदन पर विचार करने का कोई आधार नहीं है।

6/ प्रकरण में प्रस्तुत तर्कों के संबंध में तहसील न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि फर्द बंटवारा पर आवेदक की आपत्ति पर कोई निराकरण न कर अनावेदक को उसकी ओर से बटवारा में दी जाने वाली भूमियों की लिखित सहमति मांगी है। जहां तक भूमि के विकय पत्र तथा सिविल न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संबंध में दिए गए किसी आदेश पर कार्यवाही का प्रश्न है आवेदक उसे नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है जिस पर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी का कोई आधार नहीं होने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय विधि अनुसार गुणदोषों पर प्रकरण का निराकरण करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर